



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2009/चैत्र 18, 1931

No. 49]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2009/CHAITRA 18, 1931

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स
एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

कोलकाता, 6 अप्रैल, 2009

सं सीडब्ल्यूआर (3) 2008.—चूकि कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स रेगुलेशन, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स एक्ट, 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित रेगुलेशन का मसौदा दिनांक 6 नवम्बर, 2008 को भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (2), 2008 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनमें इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 45 दिनों की समाप्ति से पूर्व आमंत्रित किए गए थे;

और चूकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 11 नवम्बर, 2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूकि संस्थान को जो आपत्ति एवं सुझाव मिले थे, संस्थान की परिषद् द्वारा उन पर विचार कर लिया गया था;

इसलिए, अब कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स एक्ट, 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् केन्द्र सरकार के अनुमोदन से कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स रेगुलेशन, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित रेगुलेशन बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम दि कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2009 के नाम से जाने जाएंगे।

1351 GI/2009

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे।

2. कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 में -

(i) विनियम 7 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :—

“7. शुल्क.—(1) प्रत्येक व्यक्ति, धारा 4 की उप-धारा (2) उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न, यदि संस्थान की एसोसिएट सदस्यता के लिए आवेदन करते हैं तो, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत परिषद् द्वारा यथानिर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) कोई एसोसिएट फैलो के रूप में प्रवेश हेतु आवेदन करता है [धारा 4 की उप-धारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति] तो अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत परिषद् द्वारा यथानिर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करेगा।

(3) वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रत्येक वर्ष में अप्रैल के पहले दिन देय होगा।

(4) प्रत्येक सदस्य अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत परिषद् द्वारा यथानिर्धारित ऐसे वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करेगा :

बशर्ते कि किसी वर्ष में जब कोई एसोसिएट फैलो के लिए प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो उस वर्ष के लिए एक एसोसिएट के रूप में उसके द्वारा किये गये भुगतान तथा फैलो के रूप में उसके द्वारा भुगतान योग्य शुल्क के बीच के अन्तर के शेष का,

(1)

यदि कोई हो तो, संस्थान को भुगतान करना होगा :

इसके अतिरिक्त इस शर्त पर कि कोई सदस्य जिसकी आयु 60 वर्ष अथवा अधिक हो अथवा किसी लाभकारी रोजगार में न हो अथवा प्रेक्टिस में न हो तो वार्षिक सदस्यता शुल्क के एक चौथाई का भुगतान करेगा ।

(5) (क) व्यवसाय (प्रेक्टिस) प्रमाण-पत्र के लिए वार्षिक शुल्क प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिवस को देय हो जाएगा ।

(ख) प्रत्येक सदस्य जो व्यवसाय में हो धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत परिषद् द्वारा यथानिर्धारित ऐसे वार्षिक व्यवसाय प्रमाण-पत्र शुल्क का भुगतान करेगा ।

(6) वार्षिक सदस्यता शुल्क का, 6 माह के भीतर जबसे यह देय हो जाता है, भुगतान न करने पर चूककर्ता सदस्य का नाम सदस्यता रजिस्टर से हटा लिया जायेगा, इससे पूर्व उसे एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से अनुबंध होगा कि नोटिस के प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर यदि वह शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो सदस्यता रजिस्टर से उसका नाम हटा लिया जाएगा ।

(7) धारा 6 के अन्तर्गत सदस्य का नाम हटाये जाने पर वह 'एआईसीडब्ल्यूए' अथवा 'एफआईसीडब्ल्यूए' के विवरणात्मक पत्रों, जैसा भी मामला हो, के उपयोग हेतु पात्र नहीं रहेगा ।

(ii) विनियम 11 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :—

"11(1) धारा 6 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत जारी प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र रद्द माना जाएगा, यदि —

- (क) धारा 20 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत रजिस्टर से प्रमाणधारक का नाम हटा दिया गया है; अथवा
- (ख) संबंधित व्यक्ति की बात सुनने का अवसर देने के पश्चात् परिषद् विश्वस्त हो कि ऐसा प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा गलत, भ्रामक अथवा असत्य सूचना दिये जाने के आधार पर अथवा परिषद् द्वारा चूक या असावधानीवश जारी किया गया था; अथवा
- (ग) कोई सदस्य प्रेक्टिस छोड़ देता हो; अथवा
- (घ) किसी सदस्य ने संगत वर्ष के 30 सितम्बर के दिन तक व्यवसाय प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान न किया हो ।

(2) प्रमाण-पत्र का निरसन प्रभावी होगा :—

- (क) जो मामला उस तिथि को जब तथा उस अवधि में जिसके लिए प्रमाण-पत्र धारक का नाम सदस्यता रजिस्टर से हटा लिया गया था उप-विनियम (1) की धारा (क) के अन्तर्गत आता हो; और

(ख) अक्टूबर की प्रथम तिथि को अथवा उसके पश्चात् सचिव द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि से 15 दिनों के बाद से उप-विनियम (1) की धारा (घ) के अन्तर्गत आता हो; और

(ग) किसी अन्य मामले में परिषद् द्वारा यथानिर्णित किसी ऐसी तिथि और ऐसी अवधि के लिए ।

(3) जब एक प्रमाण-पत्र रद्द किया जाता है तो प्रमाण-पत्र किस तिथि को और किस अवधि हेतु रद्द किया गया इसे लिखित में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर द्वारा संबंधित सदस्य को रजिस्टर में अंकित पते पर सूचना हेतु भेज दिया जाएगा और पत्रिका में भी प्रकाशित किया जाएगा ।

(4) जब व्यवसाय प्रमाण-पत्र रद्द किया जाता है तो प्रमाण-पत्रधारक को ऐसे प्रमाण-पत्र को उप-विनियम (3) के अन्तर्गत ऐसे निरसन के नोटिस प्राप्ति की तिथि से अथवा इस संबंध में पत्रिका में प्रकाशित अधिसूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, सचिव को सौंपना होगा ।

(iii) विनियम 12, 13, 14, 15 और 15क में शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित शब्द कोष्ठक में शामिल किये जाएंगे, नामतः :—

"(17-11-2006 से पूर्व किसी शिकायत अथवा सूचना के परिषद् के समक्ष लम्बित होने अथवा अनुशासनात्मक समिति द्वारा प्रारम्भ की गई कोई जांच अथवा उच्च न्यायालय को की गई अपील अथवा किसी संदर्भ के लिए लागू)";

(iv) विनियम 15क के पश्चात् निम्नलिखित विनियम शामिल किये जाएंगे, नामतः :—

"15ख. किसी शिकायत की जांच हेतु शुल्क और प्रक्रिया अथवा निदेशक (अनुशासन), अनुशासनात्मक निदेशालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली सूचना तथा अनुशासनात्मक समिति द्वारा जांच हेतु प्रक्रिया.—

[17-11-2006 को अथवा उसके पश्चात् प्राप्त किसी शिकायत अथवा सूचना के लिए लागू]

(1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी सांविधिक प्राधिकार द्वारा अथवा के पक्ष में दायर किसी शिकायत से भिन्न प्रत्येक शिकायत के साथ दो सौ पचास रुपये का शुल्क देय होगा ।

(2) प्रत्येक ऐसी शिकायत अथवा सूचना पर कार्रवाई कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स (व्यावसायिक और अन्य कदाचार तथा मामलों पर कार्रवाई की जांच की प्रक्रिया) नियमावली, 2007 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी";

(v) विनियम 16 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :—

"16. नाम हटाये जाने की अधिसूचना.—संस्थान की सदस्यता से किसी व्यक्ति के नाम को हटाने के लिए संबंधित

व्यक्ति को लिखित में सूचना दी जाएगी तथा संस्थान की पत्रिका में सूचना प्रकाशित की जाएगी” ।

(vi) विनियम 17 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा, नामतः :-

“17. सदस्यता पुनःस्थापन.—(1) किसी सदस्य के आवेदन पर जो कि परिषद् द्वारा निर्धारित फॉर्म जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शामिल है जिसका नाम शुल्क के भुगतान न किये जाने पर विघटित कम्पनी अथवा धारा 20 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अन्तर्गत सदस्यों के रजिस्टर में से नाम हटा दिया गया है तो परिषद्, ऐसी सदस्यता के लिए अधिनियम के अन्तर्गत परिषद् द्वारा निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क और अतिरिक्त शुल्क के बकाये का उसके द्वारा भुगतान कर दिये जाने पर अन्यथा पात्र होने पर उसके नाम का पुनःस्थापन कर सकती है ।

(2) उप-विनियम (1) के अन्तर्गत पुनःस्थापन आवेदन के साथ-साथ में प्राप्त शुल्क की तिथि से प्रभावी होगा :

बशर्ते कि जहां ऐसा आवेदन पूर्ण रूप से पुनःस्थापन हेतु, उसी वर्ष जिसमें नाम हटाया गया था, प्राप्त होता है तो परिषद् उस वर्ष के लिए देय वार्षिक सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क और पुनःस्थापन हेतु अतिरिक्त शुल्क का रजिस्टर से नाम हटाये जाने की तिथि से उसके द्वारा भुगतान करने पर उसके नाम का पुनःस्थापन कर सकती है :

इसके अतिरिक्त सदस्य का पुनःस्थापन जोकि अनुशासन बोर्ड अथवा अनुशासनात्मक समिति अथवा अपीलेट अथारिटी अथवा उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन हटाया गया है, उक्त आदेशों के अनुसार होगा;

17क. व्यवसाय/प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र का पुनःस्थापन.—

(1) परिषद्, किसी सदस्य द्वारा जिसके प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र के लिए वार्षिक शुल्क के भुगतान न किये जाने के कारण प्रमाण-पत्र को रद्द कर दिया गया है, धारा 20 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत आवेदन पर तथा परिषद् द्वारा यथानिर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र का, उस तिथि से जबसे यह रद्द किया गया था और जिसका आवेदन शुल्क के भुगतान सहित सभी रूप से पूर्ण है तथा संगत वर्ष की समाप्ति से पूर्व सचिव द्वारा प्राप्त किया जाता है, पुनःस्थापन कर सकती है ।

(2) पुनःस्थापन हेतु आवेदन प्राप्त किये जाने पर प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र के पुनःस्थापन की सूचना संबंधित व्यक्ति को लिखित में दी जाएगी तथा उसे पत्रिका में भी प्रकाशित किया जाएगा ।”

(vii) विनियम 18 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः :-

“18. पुनःस्थापन हेतु अधिसूचना.—रजिस्टर में किसी सदस्य के नाम के पुनःस्थापन की सूचना उसे लिखित में दी जायेगी

तथा संस्थान की पत्रिका में भी सूचना के लिए प्रकाशित किया जाएगा”;

(viii) विनियम 52 से 70क वाले अध्याय VII को छोड़ दिया जाएगा;

(ix) विनियम 80 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः :-

“80. समितियों का गठन.—धारा 17 की उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में परिषद् तीन स्थायी समितियों का गठन करेगी, नामतः :-

(क) कार्यकारी समिति

(ख) वित्त समिति

(ग) जांच समिति

(2) परिषद् अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (6) और उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ जैसा भी उचित समझे, अपने सदस्यों में से प्रशिक्षण और शिक्षा सुविधा समिति, व्यावसायिक विकास समिति, अनुसंधान और प्रकाशन समिति तथा ऐसी अन्य समितियों सहित अन्य समितियों का गठन कर सकती है ।

80क. बैठक का समय और स्थान.—(1) समिति के किन्हीं दो सदस्यों की मांग पर समिति के अध्यक्ष किसी भी समय समिति की बैठक बुला सकता है ।

(2) किसी समिति की बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर होगी जैसे इसके अध्यक्ष के निर्देश होंगे ।

(3) प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए समिति के प्रत्येक सदस्य को एक नोटिस दिया जायेगा जिसकी सामान्यतः अवधि 7 दिन से कम नहीं होगी ।

(4) समिति की किसी बैठक को जिसे किसी विशेष तिथि अथवा तिथियों को बुलाया गया है, समिति के अध्यक्ष द्वारा उसे बाद की तिथियों के लिए आस्थगित किया जा सकता है, यदि उनकी राय में आस्थगन औचित्यपूर्ण हो, उसमें समय और बैठक के स्थान का परिवर्तन भी शामिल है ।

(5) बैठक के ऐसे आस्थगन का नोटिस समिति के प्रत्येक सदस्य को कम से कम 7 दिन पूर्व उनके पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा, आस्थगित बैठक का कार्यवृत्त मूल बैठक के अनुसार ही होगा जब तक कि आस्थगित बैठक में अध्यक्ष द्वारा कोई अन्य मद न जोड़ी गई हो ।

(x) विनियम 85 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :-

“85. कार्यकारी समिति.—(1) कार्यकारी समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी, नामतः :-

(क) प्रैक्टिस/व्यवसाय प्रमाण-पत्र सहित अथवा उसके बिना सदस्यों का नामांकन, अध्येताओं को प्रवेश देना, सदस्यों के नामों का हटाना और पुनःस्थापन, व्यवसाय प्रमाण-पत्रों को जारी करना और निरस्तीकरण, सदस्यता प्रमाण-पत्र जारी करना, परिषद् के निष्कर्ष पर सदस्यों का अभियोजन, धारा 37 की उप-धारा (1) के प्रचालन से व्यवसायी कॉस्ट एकाउंटेंट्स को अथवा फर्मों के ऐसे एकाउंटेंटों को छूट प्रदान करना और सदस्यों की सूची प्रकाशित करना;

(ख) कॉस्ट एकाउंटेंटों के व्यवसाय से भिन्न किसी व्यापार अथवा व्यवसाय में लागू व्यवसायी कॉस्ट एकाउंटेंट्स को इस संबंध में परिषद् द्वारा स्पष्ट किए गए प्रतिबंधों के अनुसार और शर्त पर अनुमति प्रदान करना ;

(ग) विनियम 108 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना देने में हुए विलंब को माफ करना ;

(घ) अधिनियम अथवा इन विनियमों द्वारा निर्धारित सदस्यों के रजिस्टर का अनुरक्षण तथा सभी अन्य सांविधिक रजिस्टर ;

(ङ) संस्थान को परिसम्पत्ति, सम्पदा और निधियों का नियंत्रण तथा अभिरक्षा ;

(च) परिषद् के कार्यालय का अनुरक्षण तथा इस प्रयोजनार्थ कार्यकारी समिति आवश्यक स्टाफ को ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जैसा उचित समझती हो, नियुक्त, निलंबित, पदच्युत अथवा पुनः नियुक्त कर सकती है ;

(छ) वार्षिक बजट के अलग-अलग शीषों में परिषद् द्वारा स्वीकृत पिछले अनुमानों के आधिक्य में 20 प्रतिशत तक संभावित व्यय के लिए वित्त समिति की सिफारिशों पर स्वीकृत प्राप्त करना ;

बशर्ते कि जहां वित्त समिति की सिफारिशों से कार्यकारी समिति सहमत नहीं होती है तो मामला परिषद् द्वारा निपटारा जाएगा ।

(ज) कोई अन्य कार्य जिनको परिषद् द्वारा समय-समय पर सौंपा जाए ।

(2) सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर परिषद् को पुनरीक्षा का अधिकार होगा ।

(xi) विनियम 85 के पश्चात निम्नलिखित विनियम शामिल होगा, नामतः :-

“85क. वित्त समिति.—(1) वित्त समिति निम्नलिखित क्षेत्रों में संबंधित और प्रसंगिक कार्यकलापों को नियंत्रित, कार्यान्वित और पर्यवेक्षित करेगी, नामतः :-

(क) परिषद् की ओर से संस्थान की सभी प्राप्तियों और भुगतानों के सत्य और सटीक लेखों और ऐसी प्राप्तियों एवं भुगतानों से संबंधित मामलों तथा सभी परिसम्पत्तियों, प्रतिभूतियों, ऋणों, निधियों और देयताओं का अनुरक्षण;

(ख) संस्थान का वार्षिक बजट तैयार करना और कार्यकारी समिति की सिफारिश प्राप्त करने के पश्चात् स्वीकृति हेतु परिषद् को प्रस्तुत करना ;

(ग) संस्थान की निधियों का नियंत्रण ;

(घ) संस्थान की निधियों का प्रतिभूतियों में निवेश तथा परिषद् द्वारा स्वीकृत दिशानिर्देशों के अधीन समय-समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन ;

(ङ) परिषद् द्वारा स्वीकृत पिछले अनुमानों पर आधारित राजस्व और पूंजी दोनों के लिए संस्थान की निधियों में से व्यय हेतु संचितरण :

बशर्ते कि परिषद् द्वारा स्वीकृत पिछले अनुमानों के आधिक्य में व्यय को जहां भी व्यवहारिक समझा जाए, कार्यकारी समिति की सिफारिश के साथ खर्च किया जाए परन्तु ऐसे आधिक्य व्यय को परिषद् के नोटिस में इसकी अगली बैठक में लाया जाए ;

(च) वार्षिक बजट के अलग-अलग शीषों के लिए परिषद् द्वारा स्वीकृत पिछले अनुमानों के आधिक्य में 20 प्रतिशत तक संभावित व्यय की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के लिए सिफारिश करना ;

(छ) संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण ;

(ज) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का सचिवालयी, सांविधिक और आन्तरिक लेखा परीक्षकों के साथ पुनरीक्षण ;

(झ) आन्तरिक लेखा परीक्षा के ढांचे सहित आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की पर्याप्तता की पुनरीक्षा ;

(ञ) आन्तरिक रिपोर्टों और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ हुए किसी विचार-विमर्श की पुनरीक्षा तथा उसके महत्वपूर्ण परिणामों पर अनुवर्ती कार्रवाई ;

(ट) संदिग्ध धोखेबाजी अथवा अनियमितता अथवा वस्तुपरक प्रकृति को आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता वाले मामलों में आन्तरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा किसी आन्तरिक जांच-पड़ताल के परिणामों की पुनरीक्षा ;

(ठ) लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे का सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा चिंता के किसी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के पश्चात् विचार-विमर्श ।

(2) परिषद् को वित्त समिति द्वारा, इसको सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में लिए गए किसी निर्णय की पुनरीक्षा का अधिकार होगा :

(xii) विनियम 93 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :-

“93. लेखों का रख-रखाव.—(1) लेखा-बहियों के समुचित रख-रखाव का दायित्व निम्नलिखित के संबंध में वित्त समिति का होगा—

- (क) संस्थान द्वारा सभी प्राप्तियों और व्यय की धनराशि और वे मामले जिनके लिए प्राप्त और व्यय किया गया ;
 - (ख) सभी सामानों की बिक्री और खरीद ;
 - (ग) संस्थान की सभी परिसम्पत्तियों और देयताएं ;
 - (घ) इस संबंध में परिषद् द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित कोई अन्य मदें ।
- (2) परिषद् के वार्षिक लेखे प्रत्येक वर्ष तैयार किए जाएंगे । ऐसे वार्षिक लेखों में संस्थान का तुलन-पत्र, उस वर्ष के लिए संस्थान के अतिरिक्त और घाटे सहित संस्थान के आय एवं व्यय लेखे तथा उस वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण ।
- (3) वार्षिक लेखे तैयार करते समय वित्त समिति अलग-अलग क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों के वार्षिक लेखों को ध्यान में रखेगी तथा संस्थान के वार्षिक लेखों के साथ उन्हें एकीकृत करेगी ;

(xiii) विनियम 95 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :-

“95. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति.—अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (5) में यथा व्यवस्थित कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर परिषद् की वार्षिक बैठक में परिषद् द्वारा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी ।” ;

(xiv) विनियम 97 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम शामिल होगा, नामतः :-

“97क. बजट अनुमान.—(1) परिषद् प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में आने वाले वर्ष हेतु प्रस्तावित खर्च किए जाने वाले व्यय और प्रत्याशित राजस्वों को इंगित करते हुए बजट स्वीकृत करेगी। अन्य बातों के अलावा ऐसे बजट में पूंजीगत मदें और राजस्व मदें अलग से श्रेणीबद्ध की जाएंगी।

- (2) पूंजीगत मदों के लिए बजट, भूमि, भवन, पूंजीगत उपकरण, पुस्तकें और पुस्तकालय पर अन्य मदों के अलावा प्रस्तावित व्यय के लिए मुहैया होगा।
- (3) राजस्व मदों हेतु बजट प्रत्याशित आय और आने वाले वर्ष में अन्य मदों के अलावा दूरस्थ शिक्षा, परीक्षा, सदस्यों को सेवाएं तथा स्थापना के संबंध में प्रस्तावित व्यय मुहैया करेगा ।
- (4) इस प्रकार स्वीकृत बजट में संभावित परिवर्तनों को समाविष्ट करने के लिए वर्ष के दौरान संशोधित किया जा सकेगा ।

(5) परिषद् के लेखा परीक्षक, परिषद् द्वारा स्वीकृत बजट अनुमानों की वास्तविक आय और व्यय के साथ भी तुलना करेंगे और वस्तुगत विचलनों पर परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

97ख. स्वीकृति, लेखा परीक्षित लेखों का परिचालन और प्रकाशन तथा परिषद् की रिपोर्ट :-

- (1) परिषद् शीघ्रता से, प्रत्येक वर्ष के अंत में अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (5-क) के अनुसरण में लेखा परीक्षित लेखों को कम से कम 15 दिन अग्रिम रूप से अपने सदस्यों को परिचालित करेगी ताकि इन लेखों पर विचार करने और स्वीकृत करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की जा सके।
- (2) परिषद् भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी :
- (क) लेखा परीक्षित लेखों की एक प्रति जिसमें क्षेत्रीय परिषद् व उसके चेप्टर्स के लेखे शामिल हों ;
- (ख) परीषद् द्वारा स्वीकृत उस वर्ष की परिषद् की रिपोर्ट और उक्त लेखों व रिपोर्ट की एक प्रति को अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा 5(ख) के अनुसरण में अगले वर्ष सितम्बर की 30 तारीख को या उससे पूर्व केन्द्र सरकार तथा संस्थान के सभी सदस्यों को अग्रेषित करेगी” ;

(xv) विनियम 104 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :-

“104. सदस्यों की सूची का प्रकाशन.—धारा 19 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत संस्थान के सदस्यों की सूची प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिवस के अनुसार प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित की जाएगी और किसी सदस्य के अनुरोध तथा परिषद् द्वारा निर्धारित ऐसी धनराशि जो 3 हजार रुपए से अनधिक होगी, धनराशि के भुगतान पर उसे भेज दी जाएगी। सदस्यों की सूची प्रकाशित करने में परिषद् उसे इस तरह विशिष्टता देगी जो वह उचित समझे जैसे एसोसिएट्स और व्यवसाय वाले अध्येता। फैलो के मध्य तथा एसोसिएट्स और गैर व्यवसायों अध्येता के बीच तथा सदस्यों की सूची में प्रत्येक सदस्य से संबंधित ऐसी कोई अन्य सूचना जिसे आवश्यक और उपयोगी समझा जाए :

बशर्ते कि प्रिंट अथवा सीडी अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसा भी मसाला हो, सदस्यों की सूची की प्रति बिना प्रभार के रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नैगम कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय निदेशकों और ऐसे अन्य निकायों को जिसे परिषद् समय-समय पर स्पष्ट करे, भेजी जाए :

आगे बशर्ते कि डाक प्रभारों के साथ, यदि कोई हो, उप-विनियम (1) के अंतर्गत परिषद् द्वारा निर्धारित धनराशि

1351 6/1/09-2

के भुगतान पर प्रिंट अथवा सीडी अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसा भी मामला हो, सूची की प्रतियां अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी” :

(xvi) विनियम 111क के पश्चात् निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, नामतः :-

“111ख. अन्य व्यवसायिक निकाय.—(1) अधिनियम की प्रथम सारिणी के भाग I की धारा (2), (3) और (5) के प्रावधानों के लिए कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी का सदस्य हो, नामतः :-

- (क) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का xxxviii) के अन्तर्गत स्थापित दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया ;
 - (ख) कम्पनी सैक्रेट्रीज अधिनियम, 1980 (सं. 1980 का 56) के अन्तर्गत स्थापित दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेट्रीज ऑफ इण्डिया ;
 - (ग) एडवोकेट्स अधिनियम, 1961 (सं. 1961 का 25) के अन्तर्गत स्थापित बार कौंसिल ऑफ इण्डिया ;
 - (घ) आर्किटेक्ट्स अधिनियम, 1972 (सं. 1972 का 20) के अन्तर्गत स्थापित दि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ;
 - (ङ) एकच्युरी अधिनियम, 2006 (सं. 2006 का 35) के अन्तर्गत स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ एकच्युरी ऑफ इण्डिया ;
 - (च) कोई अन्य व्यावसायिक निकास अथवा संस्थान जिसकी कॉस्ट एकाउंटेंसी संबंधित पात्रता परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त हो ।
- (2) अधिनियम की पहली सारिणी के भाग I की धाराएं (2), (3) और (5) के प्रयोजनार्थ भारत में योग्य निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, नामतः :-
- (क) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का xxxviii) के अभिप्राय के भीतर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ;
 - (ख) कम्पनी सैक्रेट्रीज अधिनियम, 1980 (सं. 1980 का 56) के अभिप्राय के अन्तर्गत कम्पनी सैक्रेट्री ;
 - (ग) एकच्युरी अधिनियम, 2006 (सं. 2006 का 35) के अभिप्राय के अन्तर्गत एकच्युरी ;
 - (घ) विधि अथवा विधि द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में बैचलर ;
 - (ङ) विधि अथवा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा किसी विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी में बैचलर ;
 - (च) विधि अथवा विधि द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा किसी विश्वविद्यालय से आर्किटेक्ट में बैचलर ;
 - (छ) विधि अथवा विधि द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि बैचलर ;
 - (ज) विधि अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी तकनीकी संस्थान द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर ।

111ख. भागीदारी हेतु व्यावसायिक सदस्यता—

- (1) अधिनियम की प्रथम सारिणी के भाग I की धाराओं (4) और (5) के अन्तर्गत भागीदारी में प्रवेश के प्रयोजनार्थ

कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित किसी व्यावसायिक निकाय का सदस्य होगा, नामतः :-

- (क) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का xxxviii) के अन्तर्गत स्थापित भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान का सदस्य, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ;
- (ख) कम्पनी सैक्रेट्रीज अधिनियम, 1980 (सं. 1980 का 56) के अन्तर्गत स्थापित भारत के कम्पनी सैक्रेट्रीज संस्थान का सदस्य, कम्पनी सैक्रेट्री ;
- (ग) एडवोकेट्स अधिनियम, 1961 (सं. 1961 का 25) के अन्तर्गत स्थापित बार कौंसिल ऑफ इण्डिया का सदस्य, एडवोकेट ;
- (घ) विधि अथवा विधि द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इंजीनियरी संस्थान अथवा इंजीनियरी का सदस्य, इंजीनियर ;
- (ङ) आर्किटेक्ट अधिनियम, 1972 (सं. 1972 का 20) के अन्तर्गत स्थापित, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का सदस्य, आर्किटेक्ट ;
- (च) एकच्युरी अधिनियम, 2006 (सं. 2006 का 35) के अन्तर्गत स्थापित, इंस्टीट्यूट ऑफ एकच्युरी ऑफ इण्डिया का सदस्य, एकच्युरी ;
- (छ) कोई अन्य व्यावसायिक निकाय अथवा संस्थान, भारत से बाहर अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कॉस्ट एकाउंटेंसी से संबंधित जिसकी योग्यता परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो ।”

कुणाल बनर्जी, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/4/असाध/71/09]

टिप्पण : प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 25 मई, 1959 की सं. सा.का.नि. 611 के माध्यम से प्रकाशित हुए थे और संशोधन निम्नलिखित के माध्यम से—

1. अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (2)/69, दिनांक 8 मई, 1969
2. अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (2)/70, दिनांक 25 मई, 1970
3. अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (2)/70, दिनांक 22 जनवरी, 1972
4. अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/81, दिनांक 6 जनवरी, 1981
5. अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/88, दिनांक 31 जनवरी, 1989
6. अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/93, दिनांक 25 सितम्बर, 1993
7. अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2002, दिनांक 26 जून, 2002
8. अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2002, दिनांक 27 मार्च, 2003
9. अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2008, दिनांक 17 नवम्बर, 2008

**THE INSTITUTE OF COST AND WORKS
ACCOUNTANTS OF INDIA**

NOTIFICATION

Kolkata, the 6th April, 2009

No. CWR (3) 2008.—Whereas the draft regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, were published as required by sub-section (3) of Section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 6th November, 2008 vide number CWR(2) 2008, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 45 days from the date on which copies of the said Gazette were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th November, 2008;

And, whereas, objections and suggestions received by the Institute were considered by the Council of the Institute;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Council with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, namely :—

1. (1) These regulations shall be called the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants Regulations, 1959,—

(i) for regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely :—

“7. Fees.—(1) Every person other than a person referred to in sub-section (2) of Section 4, applying for Associate membership of the Institute, shall pay an entrance fee as may be determined by the Council under sub-section (3) of Section 4 of the Act.

(2) An Associate applying for admission as a Fellow [other than a person referred to in sub-section (2) of Section 4] shall pay an entrance fee as may be determined by the Council under sub-section (4) of Section 5 of the Act.

(3) The annual membership fee shall become due on the first day of April in each year.

(4) Every member shall pay such annual membership fee as may be determined by the Council under sub-section (4) of Section 19 of the Act :

Provided that in respect of any year in which an Associate applies for admission as a Fellow, he shall pay to the institute the difference between the annual membership fee, if any, paid by him as an Associate for that year and the fee payable by him as a Fellow :

Provided further that a member who is of the age of sixty years or above and is not in any gainful employment or not in practice shall pay one fourth of the annual membership fee.

(5) (a) The annual fee for certificate of practice shall become due on the first day of April in each year.

(b) Every member in practice shall pay such annual certificate of practice fee, as may be determined by the Council, under sub-section (2) of Section 6.

(6) For non-payment of annual membership fee within six months from the date on which it becomes due, the name of the defaulting member shall be removed from the Register of Members with a prior notice to the defaulting member clearly stipulating therein that his name will be removed from the Register of Member if he does not pay the fee within forty-five days of the receipt of that notice.

(7) On removal of the name of a member under clause (6), he shall not be entitled to use the descriptive letters ‘AICWA’ or ‘FICWA’, as the case may be.”;

(ii) for Regulation 11, the following regulation shall be substituted, namely :—

“11 (1) A certificate of practice issued under sub-section (1) of Section 6 shall be liable for cancellation, if—

(a) the name of the holder of the certificate is removed from the Register under sub-sections (1) and (2) of Section 20; or

(b) the Council is satisfied, after giving an opportunity of being heard to the person concerned, that such certificate was issued on the basis of incorrect, misleading or false information provided by the applicant, or by mistake or inadvertence on the part of the Council; or

(c) a member has ceased to practise; or

(d) a member has not paid annual fee for certificate of practice till 30th day of September of the relevant year.

(2) The cancellation of a certificate shall be effective,—

(a) in a case falling under clause (a) of sub-regulation (1), on the date on which and during the period for which the name of the holder of the certificate was removed from the Register of members;

- (b) in a case falling under clause (d) of sub-regulation (1), from the 15th day following the date of issue of notice by the Secretary on or after the 1st day of October; and
- (c) in any other case, from such date and for such period, as may be decided by the Council.

(3) When a certificate is cancelled, the date from which and the period for which the certificate shall stand cancelled shall be communicated in writing by registered post or Speed post or Courier to the member concerned at the address entered in the Register and shall be published in its Journal.

(4) Where a certificate of practice is cancelled, the holder of such certificate shall surrender the certificate to the Secretary within fifteen days from the date of receipt of notice of such cancellation or from the date of the notification thereof published in the Journal, whichever is later, under sub-regulation (3).”;

(iii) in regulations 12, 13, 14, 15 and 15A after the headings, the following words in brackets shall be inserted, namely :—

“(Applicable to a complaint or information pending before the Council or any inquiry initiated by the Disciplinary Committee or any reference or appeal made to a High Court prior to 17-11-2006)” ;

(iv) after regulation 15A, the following regulation shall be inserted, namely :—

“15B. Fee and procedure for investigation of a complaint or information to be followed by the Director (Discipline), Disciplinary Directorate and procedure for inquiry by the Disciplinary Committee.—

[Applicable to a complaint or information received on or after 17-11-2006]

(1) Every complaint other than a complaint filed by or on behalf of the Central or any State Government, or any statutory authority shall be accompanied by a fee of two thousand five hundred rupees.

(2) Each such complaint or information shall be dealt with in accordance with the procedure specified in the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007.”;

(v) for regulation 16, the following regulation shall be substituted, namely :—

“16. Notification of removal.—The removal of the name of any person from the membership of the Institute shall be communicated in writing to the person concerned and shall be published in the Journal of the Institute.”;

(vi) for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely :—

“17. Restoration to membership.—(1) The Council may, on an application in the Form including electronic form as may be prescribed by the Council, from a member, whose name stood removed from the Register of members of the dissolved company or under clause (c) of sub-section (1) of Section 20, for non-payment of fees, restore his name, if he is otherwise eligible to such membership, on his paying the arrears of annual membership fee, entrance fee and additional fee as may be determined by the Council under the Act.

(2) The restoration under sub-regulation (1) shall be with effect from the date on which the application along with the fee is received :

Provided that where such an application for restoration, complete in all respects, is received within the same year, in which the name was removed, the Council may restore the name on his paying the annual membership fee due for that year, entrance fee and the additional fee for restoration, with effect from the date on which it was removed from the Register :

Provided further that the restoration of a member's name which was removed under the orders of the Board of Discipline or the Disciplinary Committee or the appellate authority or the High Court shall be effected only in accordance with such orders;

17A. Restoration of certificate of practice.—(1) The Council may, on an application and on payment of such fee, as may be determined by the Council under sub-section (3) of Section 20, restore the certificate of practice with effect from the date on which it was cancelled, to a member whose certificate has been cancelled due to non-payment of the annual fee for the certificate of practice and whose application, complete in all respects, together with the fee, is received by the Secretary before the expiry of the relevant year;

(2) On acceptance of the application for restoration, the restoration of certificate of practice shall be communicated in writing to the person concerned and shall be published in the Journal.”;

(vii) for regulation 18, the following shall be substituted, namely :—

“18. Notification of restoration.—The restoration of a member's name to the register shall be communicated in writing to him and shall be published in the Journal of the Institute.”;

(viii) Chapter VII containing regulations 52 to 70A shall be omitted;

(ix) for regulation 80, the following shall be substituted, namely :—

“80. Constitution of Committees.—In pursuance of the provisions contained in sub-section (1) of Section 17, the Council shall constitute three Standing Committees, namely :—

- (a) Executive Committee
- (b) Finance Committee
- (c) Examination Committee

(2) The Council may constitute other Committees including a Training and Educational Facilities Committee, Professional Development Committee, Research and Publications Committee, Journal Committee and such other committees from amongst its members as it deems necessary for the purpose of carrying out the provisions of Act in accordance with the provisions of sub-section (2) and sub-section (6) of section 17 of the Act.

80A. Time and place of meeting.—(1) The Chairman of a Committee may at any time and shall, on a written requisition of any two members of the Committee, call a meeting of the Committee.

(2) The meeting of a Committee shall be held at such place and at such time as its Chairman may direct.

(3) A notice of not less than seven days of every such meeting shall ordinarily be given to every member of the Committee.

(4) Any meeting of a Committee which is called to be held on a particular date or dates may be postponed by the Chairman of the Committee to a subsequent date or dates, if, in his opinion, such postponement is warranted, which may also include change of time and place of the meeting.

(5) Notice of the postponed meeting shall be sent to the registered address of every member of the Committee not less than seven days before such postponed meeting. The business to be transacted at the postponed meeting shall be same as was intended for the original meeting, unless any other business is admitted by the Chairman of the postponed meeting.”;

(x) for regulation 85, the following regulation shall be substituted, namely :—

“85. Executive Committee.—(1) The Executive Committee shall perform the following functions, namely :—

- (a) enrolment of members with or without certificate of practice, admission of fellows, removal and restoration of names of members, issue and cancellation of certificate of practice, issue of certificates of membership,

prosecution of members on the findings of the Council, granting exemption to cost accountants in practice or firms of such cost accountants from the operation of sub-section (1) of section 37 and publication of the list of members;

- (b) grant of permission to a cost accountant in practice to engage in any business or occupation other than the profession of cost accountancy in accordance with, and subject to, the restrictions specified in this behalf by the Council;
- (c) condone the delay in supplying requisite information under regulation 108;
- (d) maintenance of the Register of members and all other statutory registers which are prescribed by the Act or these regulations;
- (e) control and custody of the property, assets and funds of the Institute;
- (f) maintenance of office of the Council and for this purpose the Executive Committee may employ, suspend, discharge or re-employ the necessary staff on such terms and conditions as it may deem fit;
- (g) according approval, on recommendation of Finance Committee, to the likely expenditure upto twenty percent in excess of the estimates previously sanctioned by the Council in the respective heads of the annual budget :

Provided that where the Executive Committee does not agree with the recommendation of the Finance Committee, the matter shall be decided by the Council.;

- (h) any other functions which may be entrusted to it by the Council from time to time.

(2) The Council shall have the power to review any decision taken by the Executive Committee in the performance of the functions assigned to it.”;

(xi) after regulation 85, the following regulation shall be inserted, namely :—

“85 A. Finance Committee.—(1) The Finance Committee shall control, implement and supervise the activities related with, and incidental to, the following areas, namely :—

- (a) maintenance of true and correct accounts of all the receipts and payments on behalf of the Council and the matters in respect of which such receipts and payments take place and of all the property, securities, debts, funds and liabilities of the Institute;
- (b) formulation of annual budget of the Institute and presenting it to the Council for approval,

after obtaining the recommendation of the Executive Committee;

- (c) control of funds of the Institute;
- (d) investment of the funds of the Institute in securities and to vary such investments from time to time subject to the guidelines approved by the Council;
- (e) disbursements from the funds of the Institute for expenditure, both revenue and capital, based on the estimates previously sanctioned by the Council :

Provided that expenditure in excess of the estimates previously sanctioned by the Council may be incurred with the recommendation of the Executive Committee, wherever considered expedient, but such excess expenditure shall be brought to the notice of the Council at its next meeting;

- (f) making of recommendation to the Executive Committee for sanction of likely expenditure upto twenty percent in excess of the estimates previously sanctioned by the Council for the respective heads of the annual budget;
- (g) overseeing the Institute's financial reporting process and the disclosure of its financial information;
- (h) reviewing with the Secretariat, Statutory and Internal Auditors, the adequacy of internal control systems;
- (i) reviewing the adequacy of internal audit function, including the structure of the internal audit;
- (j) reviewing the internal reports and any discussion with the internal auditor and significant findings and follow up there on;
- (k) reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Council;
- (l) discussing with Statutory Auditors of the nature and scope of audit and hold post-audit discussions to ascertain any area of concern.

(2) The Council shall have the power to review any decision taken by the Finance Committee in the performance of the functions assigned to it.”;

(xii) for regulation 93, the following regulation shall be substituted, namely :—

“93. Maintenance of accounts.—(1) It shall be the duty of the Finance Committee to maintain or cause to be maintained proper books of accounts with respect to—

- (a) all sums of money received and expended by the Institute and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place;
- (b) all sales and purchases of goods;
- (c) all the assets and liabilities of the Institute;
- (d) any other items specified in this regard by the Council.

(2) The annual accounts of the Council shall be prepared for every year. Such annual accounts shall comprise of the Balance Sheet of the Institute, Income and Expenditure Account of the Institute comprising the surplus or deficit of the Institute for that year, and cash flow statement for that year.

(3) While preparing the annual accounts, the Finance Committee shall take into consideration the annual accounts of the respective Regional Councils and Chapters and consolidate the same with the annual accounts of the Institute.”;

(xiii) for regulation 95, the following shall be substituted, namely :—

“95. Appointment of Auditors.—The auditor shall be appointed by the Council at the annual meeting of the Council on the recommendation of the Executive Committee as provided in sub-section (5) of section 18 of the Act.”;

(xiv) after regulation 97, the following regulation shall be inserted, namely :—

“97A. Budget estimates.—(1) The Council shall approve the budget prior to the commencement of each financial year indicating expenditure proposed to be incurred and anticipated revenues for the forthcoming year. Such a budget apart from the other things shall separately distinguish capital items and the revenue items.

(2) The budget for the capital items shall provide proposed expenditure apart from the other items on land, building, capital equipments, books and library.

(3) The budget for revenue items should provide anticipated income and proposed expenditure for the forthcoming year in relation to, apart from the other items, in respect of distance education, examination, services to members and salary and establishment.

(4) The budget so approved may be revised during the year to incorporate the expected changes.

(5) The auditors of the Council shall also compare the actual income and expenditure with the budget estimates approved by the Council and submit a report to the Council on the material departures.

97B. Approval, circulation and publication of audited accounts and Council report.—(1) The Council shall, as soon as may be, at the end of the each year circulate the audited accounts to its members at least 15 days in advance and consider and approve these accounts in a special meeting convened for the purpose in pursuance of sub-section (5A) of section 18 of the Act.

(2) The Council shall cause to be published in the Gazette of India—

- (a) a copy of the audited accounts including accounts of Regional Council and its Chapters; and
- (b) the report of the Council for that year duly approved by the Council and shall forward a copy of the said accounts and report to the Central Government and to all members of the Institute on or before 30th day of September of the year next following in pursuance of sub-section 5(B) of Section 18 of the Act.”;

(xv) for regulation 104, the following regulation shall be substituted, namely :

“104. **Publication of list of members.**—The list of members of the Institute as on the 1st day of April each year published in print or electronic form, under sub-section (3) of section 19, shall be sent to any member, on his request and on his making payment of such amount as may be determined by the Council which shall not exceed rupees three thousand. In publishing the list of members, the Council may distinguish, in such manner as it may think fit, between the Associates and Fellows in practice and between the Associates and Fellows not in practice and provide such other information pertaining to each member in the list of members as it considers necessary and useful :

Provided that a copy of the list of members in print or the CD or in any other electronic form, as the case may be sent free of charge to Registrars of Companies, Regional Directors under the Ministry of Corporate Affairs and such other bodies as the Council may specify from time to time :

Provided further that copies of the list in print or CD or in other electronic form, as the case may be, shall also be made available to others on payment of the amount as determined by the Council under sub-regulation (1) along with postal charges, if any.”;

(xvi) after regulation 111A, the following regulations shall be inserted, namely :

“111 B. **Other professional bodies.**—(1) For the purposes of clauses (2), (3) and (5) of Part I of the First Schedule to the Act, a person has to be member of any of the following namely :

- (a) the Institute of Chartered Accountants of India established under the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949);
- (b) the Institute of Company Secretaries of India established under the Company Secretaries Act, 1980 (No. 56 of 1980);
- (c) the Bar Council of India established under the Advocates Act, 1961 (No. 25 of 1961);
- (d) the Indian Institute of Architects established under the Architects Act, 1972 (No.20 of 1972);
- (e) the Institute of Actuaries of India established under the Actuaries Act, 2006 (No. 35 of 2006);
- (f) any other professional body or institution whose qualifications relating to cost accountancy are recognized by the Council.

(2) For the purposes of Clauses (2), (3) and (5) of Part I of the First Schedule to the Act, the following shall be the persons qualified in India, namely :—

- (a) Chartered Accountants within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949);
- (b) Company Secretary within the meaning of the Company Secretaries Act, 1980 (No. 56 of 1980);
- (c) Actuary within the meaning of the Actuaries Act, 2006 (No. 35 of 2006);
- (d) Bachelor in Engineering from a University established by law or an Institution recognised by law;
- (e) Bachelor in Technology from a University established by law or an institution recognised by law;
- (f) Bachelor in Architecture from a University established by law or an institution recognised by law;
- (g) Bachelor in Law from a University established by law or an institution recognised by law;
- (h) Master in Business Administration from Universities established by law or technical institutions recognised by All India Council for Technical Education.

111B. Membership of professional bodies for partnership.—(1) For the purposes of entering into partnership under clauses (4) and (5) of Part I of the

First Schedule to the Act, a person shall be a member of any of the following professional bodies, namely :—

- (a) Chartered Accountant, member of the Institute of Chartered Accountants of India established under the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949);
- (b) Company Secretary, member of the Institute of Company Secretaries of India, established under the Company Secretaries Act, 1980 (No. 56 of 1980);
- (c) Advocate, member of the Bar Council of India established under the Advocates Act, 1961 (No. 25 of 1961);
- (d) Engineer, member of the Institution of Engineers, or Engineering from a University established by law or an institution recognized by law;
- (e) Architect, member of the Indian Institute of Architects established under the Architects Act, 1972 (No. 20 of 1972);
- (f) Actuary, member of the Institute of Actuaries of India, established under the Actuaries Act, 2006 (No. 35 of 2006);
- (g) any other professional body or institution outside India whose qualifications relating to cost

accountancy are recognized by the Council under sub-section (2) of Section 38 of the Act.”

KUNAL BANERJEE, President

[ADVT/III/4/Exty./71/09]

Note.—Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 611 dated 25th May, 1959 and amended *vide*—

- (1) Notification number CWR(2)/69 dated 8th May, 1969
- (2) Notification number CWR(2)/70 dated 25th May, 1970
- (3) Notification number CWR(2)/70 dated 22nd January, 1972
- (4) Notification number CWR(1)/81 dated 6th January, 1981
- (5) Notification number CWR(1)/88 dated 31st January, 1989
- (6) Notification number CWR(1)/93 dated 25th September, 1993
- (7) Notification number CWR(1)/2002 dated 26th June, 2002
- (8) Notification number CWR(1)/2002 dated 27th March, 2003
- (9) Notification number CWR(1)/2008 dated 17th November, 2008.